



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 24 जून, 2026 ई०

आषाढ़ 03, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग-3

संख्या- 1260 / X-3-26 / 01(30) / 2020

देहरादून, 24 जून, 2026

अधिसूचना

प० आ०-35

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद नैनीताल की तहसील नैनीताल में जैना से चन्द्रकोट धूरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित 01.629 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड की 03.258 है० भूमि, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र० सं०	जिला	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (है०)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (है०)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	नैनीताल	बगड़	32	381	03.258	03.258	वर्ग 9(3)ड
						03.258	

2- संरक्षित वन का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

3- उपरोक्त तालिका में उल्लिखित क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम स्थानांतरित किये जाने वाले किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

आज्ञा से,
कल्याणी,
अपर सचिव।

File No. 1260/X-3-26/01(30)/2020

Dated Dehradun, June 24, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of the Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)e 03.258 hectare land as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Nainital to the forest department for compensatory plantation against the 01.629 hectare Reserve Forest land transferred for the construction of motor road from village Jaina to Chandrakote Dhura in Tehsil Nainital of District Nainital for the purpose of Chapter-4 of the said Act, details of which is given in the table below.

Table

Sr. No.	District	village	Khata No.	Khasra No.	Total Area (in Hectares)	Area acquired for C.A (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nainital	Bagad	32	381	03.258	03.258	Category-9(3)e
					Total:-	03.258	

2- The protected forest shall be demarcated and pillars shall be constructed.

3- The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

By Order,

KALYANI,
Additional Secretary.